प्रकरण संख्या 52/2015 पुष्कर व अन्य बनाम भभूता व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वाजमिया में आराजी नंबर 19/3 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान हैं। उक्त भूमि मौरूसी होने से प्रत्येक वादीगण का भी विवादित आराजियात में 1/10, 1/10 हिस्सा है। अतः वादीगण प्रत्येक को विवादित आराजियात में 1/10, 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 22.06.2015 से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पक्षकारों द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 भभूता द्वारा वादी/अपीलान्ट की वाद मित्र श्रीमती चतरूबाई जो प्रतिवादी संख्या 1 भभूता की पत्नी है पर दवाब डालकर वाद विड्रो करवा लिया, जबकि वाद मित्र को अवयस्क के हितों के विपरीत वाद पत्र को विड्रो करने का कोई अधिकार नहीं है। [illegible] अपीलान्टगण की ओर से अभिलिखित [illegible] के सजरे को बिना साक्ष्य के [illegible] जा सकता, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई [illegible] नहीं दिया है। अतः	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:42 IST
Reason: Self-Attested

अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु रिमाण्ड की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपीलान्ट व उनकी माता द्वारा षडयन्त्र पूर्वक अन्य व्यक्ति बाबरू को वाद मित्र बनाकर अपील प्रस्तुत की है, जो मात्र न्यायालय को गुमराह करने हेतु प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पत्रावली प्रतिवादी की तलबी हेतु दिनांक 05.02.2015 को नियत थी। इसके बाद लगातार 3 पेशियों पर पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने से पत्रावली में दिनांक 28.07.2015 को पेशी नियत की गयी, किन्तु प्रतिवादी की तलबी हुए बिना ही प्रकरण नियत पेशी दिनांक के पूर्व ही दिनांक 22.06.2015 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.04.2021 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एव राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:42 IST
Reason: SelfAttested